

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 जून 2019—ज्येष्ठ 14, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून, 2019

एफ ए 3-20-2013-1-पांच (46).— मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2013-1-पांच (29) दिनांक 08 मार्च, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में अंक "90" के स्थान पर अंक "140" स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस.डी.रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जून, 2019

क्र. एफ ए 3-20-2013-1/पांच(46).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2013-1-पांच (46), दिनांक 04 जून 2019, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस.डी.रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 04th June, 2019

FA 3-20-2013-1-V (46).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) read with sub-section (2) of the Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. FA 3-20-2013-1-V(29) dated 8th March, 2019, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in para 4 for the figure "90", the figure, "140" shall be substituted.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,

S.D. Richharia, Dy. Secy.